भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3346

16.12.2024 को उत्तर के लिए

तटीय क्षेत्रों का विकास

3346. श्री मड्डीला गुरूमूर्तिः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 'राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण' (एनसीजेडएमए) को पूर्णकालिक स्थायी निकाय में परिवर्तित करने का है जो तटीय क्षेत्रों के संरक्षण हेतु विनियमन स्थापित करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ख) क्या सरकार का विचार तटीय विनियमन क्षेत्रों (सीआरजेड) में परियोजनाओं के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष जन सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने का है;

(ग) क्या सरकार का विचार मंजूरी के बाद अनुवर्ती कार्रवाई और निगरानी को लागू करने के लिए राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरणों (एससीजेडएमए) के समन्वय से कोई तंत्र विकसित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार तटीय क्षेत्रों की पारिस्थितिकी में अनुसंधान के लिए एक समर्पित संस्थान बनाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन प्राधिकरण (एनसीजेडएमए) एक स्थायी संस्थागत व्यवस्था है जिसमें अध्यक्ष और सदस्य सचिव सहित 25 सदस्य होते हैं, जिनमें से 23 सदस्य पदेन सदस्य हैं।

(ख) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अनुसार, तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना (सीजेडएमपी) के मसौदे को व्यापक रूप से प्रचारित किया जाता है, जिसके द्वारा सुझाव और आपतियां आमंत्रित की जाती हैं और एमओईएफसीसी के द्वारा इसे अंतिम अनुमोदन से पहले संबंधित तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जिला स्तर पर सीजेडएमपी के मसौदे पर सार्वजनिक सुनवाई भी आयोजित की जाती है। सीआरजेड क्षेत्रों की परियोजनाओं को सीजेडएमपी के प्रावधानों के अनुसार अनुमोदित किया जाता है और प्रत्येक व्यक्तिगत परियोजना के लिए अलग से किसी सार्वजनिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं होती है।

(ग) मंत्रालय ने दिनांक 30 सितंबर 2022 की अधिसूचनाओं के माध्यम से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 5, धारा 10 और धारा 19 के तहत राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरणों (एससीजेडएमए) को सीआरजेड अधिसूचनाओं के प्रावधानों को लागू करने और उसकी निगरानी करने का अधिकार दिया है। इस प्रकार, निगरानी एससीजेडएमए के साथ समन्वय रख कर की जाती है।

इसके अलावा, ईसी/सीआरजेड मंजूरी के लिए यह जरूरी बना दिया गया है कि परियोजना प्रस्तावक मंत्रालय के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को इन शर्तों की अनुपालन- स्थिति प्रस्तुत करें। परियोजना प्रस्तावकों को प्रचालन शुरू करने से पहले संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों से वायु और जल अधिनियम के अंतर्गत स्थापना हेतु सहमति/प्रचालन के लिए सहमति प्राप्त करना जरूरी होता है।

(घ) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तट की सुरक्षा, संरक्षण, पुनर्वास, प्रबंधन और नीति सलाह के लिए एक राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र (एनसीएससीएम) की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त, तटीय अनुसंधान और पारिस्थितिकी के लिए समर्पित अन्य प्रतिष्ठित संस्थान भी हैं, जैसे राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केन्द्र (एनसीसीआर), राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी), राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एनआईओ), भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र (आईएनसीओआईएस) आदि।

*****